



भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)



पत्रांक : सम्ब0/617/2025 दिनांक : 24/12/2025

सेवा में,

समस्त प्राचार्य,

समस्त सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,

डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के विनियमों के अंतर्गत महाविद्यालय स्तर पर लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति किए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या F-1-13/2022 (CPP&II) दिनांक 05 दिसम्बर, 2023, भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित यू०जी०सी० अधिसूचना संख्या 233, नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल, 2023 तथा यू०जी०सी० के पत्र संख्या F-1-13/2022 (CPP&II) दिनांक 12 अप्रैल, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त विश्वविद्यालयों एवं उनके सम्बद्ध महाविद्यालयों में छात्रों/छात्राओं की शिकायतों के निवारण हेतु लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति किया जाना अनिवार्य किया गया है।

उक्त विनियमों के अनुसार लोकपाल सेवानिवृत्त कुलपति अथवा सेवानिवृत्त प्रोफेसर (जिन्होंने अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया हो) होंगे अथवा ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, सम विश्वविद्यालयों या जिला न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो।

लोकपाल की नियुक्ति पदग्रहण की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) की जाएगी तथा एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति की जा सकेगी।

परन्तु यह संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में अभी तक लोकपाल की नियुक्ति अद्यतन रूप से नहीं की गई है, जिसके कारण छात्र शिकायतों तथा आर०टी०आई० से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत मा० कुलपति जी के आदेश दिनांक 18.12.2025 के अनुपालन में निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने महाविद्यालय में यू०जी०सी० विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप लोकपाल की तत्काल नियुक्ति सुनिश्चित करते हुए, की गई कार्यवाही की सूचना सुसंगत अभिलेखों सहित विश्वविद्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे संबंधित प्रकरणों में समयबद्ध रूप से सूचना आयोग/अन्य सक्षम प्राधिकरण को सूचनाएँ प्रेषित की जा सकें।

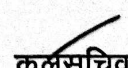
यह पत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ।

1. प्रभारी-कुलपति कार्यालय, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों को उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर भी अवगत कराने का कष्ट करें।
3. गार्ड फाइल।
4. अधिष्ठित लेजन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना के समस्त महाविद्यालयों की ऑफिस में अपलोड करना सुनिश्चित करें।


कुलसचिव